31.5.18 — पत्रावली अटल सेवा केन्द्र भगवानपुरा में पेश हुई। वादी हाजिर। वकील प्रतिवादी हाजिर। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है ग्राम चकवा की जमाबंदी संवत 2069-72 खाता सं. नया-पुराना 95-89, खिलागिरी, छितरगिरी, पि. रामागिरी व मु. बरदी बेवा रामागिरी हिस्सा 2/3, सुशीला धर्मपत्नी लादु हिस्सा 1/3 तथा ग्राम भगवानपुरा जमाबंदी संवत 2070-73, खाता सं. नया-पुराना. 77-82, खिलागिरी, छितरगिरी, पि. रामागिरी हिस्सा 1/2 मांगीगिरी पुत्र सुखदेवगिरी हि. 1/2 कौम गुसाई के नाम दर्ज चली आ रही है। प्रार्थी ने वाद वास्ते बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है। इस आराजी में वादी का 1/4 हि. है (ग्राम-भगवानपुरा) ग्राम चकवा की जमाबंदी में 1/3 हिस्सा है जबतक बँटवारा नही हो। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 6 जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया है कि प्रार्थी के कब्जेकाश्त में बिना बँटवारा बाधा उत्पन्न नही करे। न ही प्रार्थी कृषि उपज पैदा करने में बाधा उत्पन्न करे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अपूर्णीय क्षति होने की सम्भावना भी प्रार्थी की है। अतः अप्रार्थी सं. 1 लगायत 6 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे प्रार्थनापत्र में अंकित आराजी में प्रार्थी का संयुक्त हकहिस्सा निहित है जिसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करे। न ही संयुक्त रूप से कब्जे में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करे। न ही प्रार्थी को कृषि उपज पैदा करने बाधा उत्पन्न करे। यह प्रार्थनापत्र हकअधिकार का अंतिम निर्णायक नही है। हक अधिकार

कानूनगो
[signature]
खसरा
चोतर

हुए।

हक अधिकार का प्रश्न वाद सहायक मूलवाद से तय होगा। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें।

आदेश मंच में आम में सुनाया गया।

सदस्य ग्राम अदालत सरवाड़	सदस्य ग्राम अदालत सरवाड़	अध्यक्ष लोक अदालत शिविर सरवाड़ (अजमेर)